मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 8 नवंबर 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. पर्यवेक्षण	2
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
IV. वित्तीय बाजार विनियमन	2
V. सरकार का बैंकर	2
VI. ग्राहक शिक्षण और संरक्षण	3
VII. आरबीआई का प्रकाशन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 नवंबर 2021 को संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क की घोषणा की। संशोधित फ्रेमवर्क की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं: -

- संशोधित फ्रेमवर्क में निगरानी के लिए पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लीवरेज प्रमुख क्षेत्र होंगे।
- पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लीवरेज के लिए संकेतक क्रमशः जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) / सामान्य इक्विटी टियर -I अनुपात, निवल गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात और टियर - I लीवरेज अनुपात होंगे।
- किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन होने पर पीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी;
- चिह्नित किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन के आधार पर पीसीए फ्रेमवर्क, भारत में परिचालित सभी बैंकों, जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं, पर लागू होगा।

संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

निजी क्षेत्र के बैंकों पर आईडब्ल्यूजी की सिफारिशें

रिज़र्व बैंक ने 26 नवंबर 2021 को आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) द्वारा 20 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत 33 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, जहां आवश्यक हो) को स्वीकार करने का निर्णय लिया। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए 12 जून 2020 को रिज़र्व बैंक द्वारा आईडब्ल्यूजी का गठन किया गया था। आईडब्ल्यूजी की शेष सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सिफारिशों (संशोधनों के साथ या बिना) की स्वीकृति के बाद अनुदेशों/ परिपत्रों/ मास्टर निदेशों/ लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों में परिणामी संशोधन किए जा रहे हैं और इन्हें यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे। तथापि, अंतराल के दौरान, सभी हितधारकों को इन निर्णयों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरआरए 2.0 - अंतरिम सिफारिशें

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) ने 16 नवंबर 2021 को विनियमित संस्थाओं (आरई) के आंतरिक और साथ ही बाहरी हितधारकों दोनों के साथ परामर्श और आरई का प्रतिनिधित्व करने वाला सलाहकार समूह की सुझावों के आधार पर सिफारिशों की पहली ट्रेंच में 150 अनावश्यक परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की। ।

आरआरए 2.0 को रिज़र्व बैंक द्वारा 15 अप्रैल 2021 को स्थापित किया गया था। श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर को विनियम समीक्षा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना है। यह भी परिकल्पना की गई थी कि आरआरए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ आंतरिक और बाहरी रूप से शामिल होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

[एफसीएनआर(बी)] - मास्टर निदेश

बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर (LIBOR) के नजदीकी भविष्य में बंद होने के मद्देनजर, 11 नवंबर 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को संशोधित ब्याज दरों की सीमा को 50 बीपीएस की वृद्धि के साथ व्यापक रूप से प्रचलित 'संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय

वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर ARR)' का उपयोग करके एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दरों को ऑफर करने की अनुमति प्रदान की । परिवर्तन के दौरान सूचना विषमता को हैंडल करने के उपाय के रूप में, व्यापक रूप से स्वीकृत बेंचमार्क स्थापित होने तक भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) एआरआर को प्रकाशित कर सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मास्टर परिपत्र- जारी करना/स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में निम्नलिखित मास्टर परिपत्रों को जारी किया/ स्पष्टीकरण जारी किया: -

क्र म सं.	विवरण	जारी करने की तारीख
1)	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड – स्पष्टीकरण	12 नवंबर 2021
2)	मास्टर परिपत्र - गारंटी और सह-स्वीकृति	9 नवंबर 2021
3)	मास्टर परिपत्र - गारंटी, सह-स्वीकृति और साख पत्र - शहरी सहकारी बैंक	2 नवंबर 2021
4)	मास्टर परिपत्र - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - शहरी सहकारी बैंक	1 नवंबर 2021

डिजिटल ऋण पर रिपोर्ट

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य दल (डब्ल्यूजी) ने 18 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डिजिटल ऋण गतिविधियों में तेजी से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में डबल्यूजी का गठन रिज़र्व बैंक द्वारा 13 जनवरी 2021 को श्री जयंत कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया था। रिपोर्ट का उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर रहा है। रिपोर्ट पर हितधारकों और जनता की टिप्पणियाँ 31 दिसंबर 2021 तक ईमेल digitallendingwg@rbi.org.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। डब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर अंतिम राय लेने से पहले टिप्पणियों की जांच की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

प्रशासक की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2021 को मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री नागेश्वर राव वाई, पूर्व-कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री संजीव नौटियाल, पूर्व-डीएमडी, भारतीय स्टेट बैंक, श्री श्रीनिवासन वरदराजन, पूर्व-डीएमडी, एक्सिस बैंक, श्री प्रवीण पी. कदले, पूर्व एमडी एवं सीईओ, टाटा कैपिटल लिमिटेड, को शामिल करते हुए एक तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

पीआईडीएफ – अद्यतन स्थिति

16 नवंबर 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) में योगदान ₹614 करोड़ रहा। पीआईडीएफ़ को रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित किया गया था। पीआईडीएफ़ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृत कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा किया गया था। सितंबर 2021 के अंत तक पीआईडीएफ योजना के तहत तैनात भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या निम्नानुसार है:

स्थान	भौतिक उपकरण*	डिजिटल उपकरण**
टियर 3 और 4 केंद्र	98,504	20,46,075
टियर 5 और 6 केंद्र	84,968	30,47,750
उत्तर-पूर्वी राज्य	18,449	2,42,145
टियर 1 और 2 केंद्रों (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना)	44,021	2,00,708
कुल	2,45,942	55,36,678

* भौतिक उपकरणों में पीओएस, एमपीओएस (मोबाइल पीओएस), GPRS (जनरल पैकेट रेडियो सर्विस), पीएसटीएन (पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क) और डिजिटल उपकरणों में इंटर-ऑपरेट करने योग्य क्यूआर कोड-आधारित भुगतान जैसे यूपीआई क्यूआर, भारत क्यूआर, शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV.वित्तीय बाजार विनियमन

एफपीआई द्वारा ऋण में निवेश

रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2021 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी) और भूसंपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मध्यम अवधि व्यवस्था (एमटीएफ) या स्वैच्छिक प्रतिधारणा मार्ग (वीआरआर) के तहत अवसंरचना निवेश न्यासों और भूसंपदा निवेश न्यासों द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों का अधिक्रय किया जा सकता है। ऐसे निवेशों को सीमाओं के भीतर ही रखा जाएगा और इन पर एमटीएफ और वीआरआर के अलग-अलग विनियमों के तहत ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश हेतु निबंधन और शर्तें लागू होंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V.सरकार का बैंकर

खुदरा प्रत्यक्ष योजना

श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 12 नवंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक- खुदरा प्रत्यक्ष योजना का शुभारंभ किया। योजना, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक को आम आदमी की आसान पहुंच में लाएगी।

इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, खुदरा एकल निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोल पाएगा। निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करके निवेश किया जा सकता है:

❑ सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन: निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना और एसजीबी जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

❑ द्वितीयक बाज़ार: निवेशक एनडीएस-ओएम ('ऑड लॉट' और 'रिक्वेस्ट फॉर कोट्स' सेगमेंट) पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं।

इंटरनेट-बैंकिंग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बचत बैंक खाते का उपयोग करके लेन-देन के लिए भुगतान आसानी से किया जा सकता है। निवेशक पोर्टल पर ही और एक टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 1800–267-7955 (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे) और ईमेल के माध्यम से ही सहायता और अन्य सहायता सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। निवेशक सेवाओं में लेन-देन और शेष विवरण, नामांकन सुविधा, प्रतिभूतियों की गिरवी या ग्रहणाधिकार और उपहार लेन-देन के प्रावधान शामिल हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया सुविधा

प्रत्यक्ष खुदरा योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) को सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में 'खुदरा निवेशक' से प्राप्त बोलियों को एकत्रित करने की अनुमति दी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI.ग्राहक शिक्षण और संरक्षण

एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 नवंबर 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) को लॉन्च किया गया। यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं अर्थात्, (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है।

यह योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत-मुक्त निवारण प्रदान करेगी, यदि ग्राहकों की संतुष्टि तक समाधान नहीं किया गया या विनियमित संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया गया।

तीन मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करने के अलावा, इस योजना ने अपने दायरे में उन गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी शामिल किया है, जिनका जमा आकार ₹50 करोड़ और उससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है। योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

❑ अब शिकायतकर्ता को यह पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसे किस योजना के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

❑ यह योजना अपवर्जनों(एक्सक्लूसन) की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी' को परिभाषित करती है। अतः, शिकायतों को अब केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं" होने के कारण अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

❑ इस योजना ने प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया है।

❑ किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है।

❑ विनियमित संस्था का प्रतिनिधित्व करने और ग्राहकों द्वारा विनियमित संस्था के विरुद्ध दायर शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उसके समकक्ष महाप्रबंधक के पद पर प्रधान नोडल अधिकारी की होगी।

❑ विनियमित संस्था को उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा उसके विरुद्ध संतोषजनक और समय पर सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए अवार्ड जारी किया गया हो।

इस योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें समर्पित ई-मेल के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं या भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017 में स्थापित 'केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र' को प्रारूप में भौतिक मोड में भेजी जा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभ में एक टोल-फ्री नंबर - 14448 (सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे) के साथ एक संपर्क केंद्र - को भी हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया जा रहा है और अन्य भारतीय भाषाओं को कवर करने के लिए यथासमय इसका विस्तार किया जाएगा। संपर्क केंद्र, आरबीआई के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और शिकायत दर्ज करने में शिकायतकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफ़सी द्वारा आईओ की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इस तारीख तक निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली एनबीएफसी को आईओ की नियुक्ति करनी होगी:

ए) 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी

बी) 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनके पास सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है।

शिकायतकर्ता को एनबीएफसी के अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले एनबीएफसी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत की गई सभी शिकायतों की समीक्षा आईओ द्वारा की जाएगी। आईओ सीधे जनता के सदस्यों से किसी भी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करेगा।

ऐसे एनबीएफसी जिनके पास सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस नहीं है और कतिपय प्रकार के एनबीएफसी, यथा, स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलर (पीडी), एनबीएफसी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी), कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (सीआईसी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

(आईडीएफ-एनबीएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर्स (एनबीएफसी-एए), कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एनबीएफसी, परिसमापन में एनबीएफसी और केवल कैप्टिव ग्राहकों वाली एनबीएफसी को आईओ नियुक्त करने की आवश्यकता से बाहर रखा गया है।

आईओ तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी, आरबीआई द्वारा नियामक निरीक्षण के अलावा एनबीएफसी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII.आरबीआई का प्रकाशन

राज्य वित्त: बजट का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बेंक) ने 30 नवंबर 2021 को "राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह वार्षिक प्रकाशन 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः वास्तविक और संशोधित (या अनंतिम खातों) परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना, विश्लेषण और 2021-22 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करता है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "महामारी से मुकाबला: एक तृतीय-स्तरीय आयाम" है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

❑ 2021-22 के लिए, राज्यों ने अपने समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में 3.7 प्रतिशत पर रखा है, जिसमें महामारी की पहली लहर का वर्ष, 2020-21 के संशोधित अनुमानों के 4.7 प्रतिशत के स्तर से उल्लेखनीय सुधार है। टीकाकरण कवरेज के विस्तार, दूसरी लहर में कमी तथा आवाजाही और गतिविधि पर स्थानीय प्रतिबंधों को हटाने के माहौल में उच्च राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से यह समेकन प्राप्त किया जा सकता है।

❑ हालांकि भारत में तीसरी श्रेणी की सरकारें रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन और परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वित करके, टीकाकरण शिविर आयोजित करके और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखकर महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर तनाव में आ गई है, जो उन्हें व्यय में कटौती करने और विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिए बाध्य कर रही है।

❑ आगे बढ़ते हुए, नागरिक निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता में वृद्धि, उनके सुशासन ढांचे को मजबूत करना और उच्च संसाधन उपलब्धता, जिसमें स्वयं के संसाधन सृजन और हस्तांतरण शामिल हैं, के माध्यम से उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2021 को अपने मासिक बुलेटिन का नवंबर 2021 का अंक जारी किया। बुलेटिन में पांच भाषण, चार लेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

i) *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कई मोर्चों से विपरीत परिस्थितियों के साथ अनिश्चितता में डूबा हुआ है। भारत में, बहाली की स्थिति में मजबूती आई है यद्यपि, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गति असमान बनी हुई है। कुल मांग के संकेतक पहले की तुलना में एक उज्जवल निकट-अवधि का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आपूर्ति पक्ष में, खरीफ फसल की रिकॉर्ड कटाई के परिदृश्य में रबी का मौसम सकारात्मक नोट पर जल्दी ही शुरू हुआ है और विनिर्माण समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार दिखा रहा है, जबकि सेवाएं मजबूत विस्तार मोड में हैं। समग्र रूप से मौद्रिक और ऋण स्थितियां एक टिकाऊ आर्थिक सुधार को स्थापित करने के लिए अनुकूल हैं।

ii) *क्या भारत में फिलिप्स कर्व मृत, सुसुप्त और धीरे-धीरे जीवित हो रहा है अथवा जीवंत और सकुशल है?*

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में सबसे अधिक उद्धृत समष्टि आर्थिक संबंध-फिलिप्स कर्व के "स्वास्थ्य" पर साहित्य की अधिकता देखी गई है। इस बहुचर्चित वैश्विक बहस में और अधिक सार तत्व को जोड़ते हुए, इस लेख में भारत में फिलिप्स कर्व के अस्तित्व की समय-भिन्नता और उत्तलता की जांच करके परीक्षण किया गया है। इस पत्र के निष्कर्ष में भारत में उत्तल फिलिप्स कर्व संबंध के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, यद्यपि यह जीवित है, लेकिन धीरे-धीरे जीवंत हो रहा है और छह साल से अधिक समय तक चलने वाली शिथिलता से उबर रहा है।

iii) *व्यावसायिक समष्टि आर्थिक पूर्वानुमानकर्ताओं के बीच अनिश्चितता और असहमति*

यह लेख प्रमुख समष्टि आर्थिक चर पर रिज़र्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं (एसपीएफ़) के द्विमासिक सर्वेक्षण में प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उच्च अनिश्चितता की विशेषता को परिलक्षित करते हैं। इस लेख में महामारी के दौरान अल्पकालिक पूर्वानुमानों में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है।

iv) *भारतीय मुद्रा बाज़ार में बदलाव की लहर*

मुद्रा बाज़ार वित्तीय संस्थाओं के एक विस्तृत वर्ग को अल्पकालिक पूंजी प्रदान करता है और मौद्रिक नीति के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आलेख जनवरी-2016 से मार्च-2021 तक की अवधि के लिए मात्रा, दर, सूक्ष्म संरचना और दरों के विस्तार के संदर्भ में भारतीय मुद्रा बाज़ार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

नवंबर 2021 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	शीर्ष
1	भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक 2020-21
2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण राशियों पर सितंबर 2021 तिमाही के लिए सांख्यिकी
3	2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल – जून) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
4	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अक्तूबर 2021
5	सितंबर 2021 माह का भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार
6	अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), Q2:2021-22

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।